ग्राम पंचायत भूईरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भूईरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री राम गोपाल	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति कमला देवी	23.1.2016 से 31.3.2016

सचिव

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री शर्मा चन्द	1.4.2013 से 26.9.2013
2	श्री रमेश चन्द	27.9.2013 से 27.11.2013
3	श्री विनोद	28.11.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत भूईरा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	अनुदान की राशि का निश्चित समय अवधि में उपयोग न करना	13.86
2	9	गृहकर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.43
3	14	अनुदानों पर प्राप्त ब्याज को स्वयं के स्त्रोत की आय में स्थानांतरण न करना	0.96
4	18, 19	वित्त नियमों की अनुपालना न करके किया गया अनियमित क्रय	9.59
5	20	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना	0.65

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत भूईरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमर दत्त, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1.6.2016 से 6.6.2016 के दौरान ग्राम पंचायत भूईरा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 3/14, 3/15, 3/16 तथा व्यय के लिए माह 3/14, 3/15, 8/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत भूईरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः G.P. Audit/SLN/5/2016–17, दिनांक 4.6.2016 द्वारा सचिव पंचायत भूईरा से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव ग्राम पंचायत भूईरा के पत्रांक संख्याः G.P. भूईरा 4/2016, दिनांक 9.6.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला–9 को प्रेषित किया गया है। तदानुसार गम्रम पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को H.P. State Co-Operative Bank Ltd. Rajgarh के Bank Draft No. 399406, Dated 9.6.2016 के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत भूईरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(क) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत भूईरा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के स्वयं स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण संलग्न **परिशिष्ट (क)** में दिया गया है।

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत भूईरा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण **परिशिष्ट (ख**) पर दिया गया है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 से 3 में** भी दिया गया है।

5 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना

ग्राम पंचायत भूईरा की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना तथा वित्त वर्ष के अन्त में भी सचिव द्वारा रोकड़ वही व बैंक पास बुक के शेष का मिलान व विवरण दिया जाना अनिवार्य था। अतः रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से अनुमोदित नहीं करवाया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 अनुदान की ₹13.86 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–"ख")** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की ₹1385978.35 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान ही व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 पंचायत द्वारा मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का न बनाया जाना

पंचायत की स्वयं के स्त्रोत की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच/अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत भूईरा द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त आय हेतु मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर

नहीं बनाया गया, जिसकी अनुपस्थिति में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि प्रति वर्ष पंचायत को स्वयं के स्त्रोतों से कितनी आय प्राप्त होनी वान्छित थी तथा कितनी राशि प्राप्त की गई। अतः शीघ्र अतिशीघ्र मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर को बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 गृहकर की ₹43050 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

ग्राम पंचायत भूईरा की दिनांक 1.4.2012 को हुई ग्राम सभा की बैठक में पंचायत की आय में वृद्धि करने हेतु चर्चा हुई तथा प्रस्ताव संख्याः 1 के अन्तर्गत यह पारित किया गया कि निम्न मदों पर उसके सामने दर्शाई गई दरों से कर व शुल्क वसूला जाएगा, जिसे पंचायत के विकास व जनकल्याण के कार्यों पर व्यय किया जा सके।

क्र0 सं0	मदें	दर (₹)
1	गृहकर	50 प्रति परिवार प्रति वर्ष
2	जन्म ईन्द्राज	10 प्रति छात्र
3	विवाह पंजीकरण	10
4	विवाह दान	50
5	मृत्यु पंजीकरण	निःशुल्क
6	आवेदन शुल्क	2
7	परिवार अलग ईन्द्राज	100
8	स्वच्छता कर ग्राम भूईरा	5

परिवार रजिस्टर के पृष्ठ 289 के अनुसार वर्ष 2013 में ग्राम पंचायत भूईरा के अन्तर्गत कुल पंजीकृत परिवारों की संख्याः 351 थी, जबकि वर्ष 2014 व 2015 में परिवार संख्या का कोई भी विवरण परिवार रजिस्टर में नहीं दिया गया था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भूईरा द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 तक गृहकर के रुप में ₹43050 की वसूली करनी शेष थी, जिसकी वसूली हेतु आवश्यक पग उठाए जाएं। वसूली योग्य राशि का विवरण संलग्न **परिशिष्ट–4** पर दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2014 व 2015 में भी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत परिवारों की संख्या की गणना करके परिवार रजिस्टर व अन्य अभिलेखों में दर्ज किया जाए तथा तदानुसार गृहकर व अन्य करों व शुल्कों की वसूली सुनिश्चित की जाए।

10 गृहकर से एकत्रित राशि को नियमानुसार सम्बन्धित खाते में जमा न करना तथा गृहकर की ₹255 को कम जमा करना

ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर से प्राप्त आय की जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा गृहकर के रूप में एकत्रित की गई राशि को वित्त नियमों के अनुसार न तो बैंक खाते में जमा किया जा रहा है और न ही रोकड़ वही में हस्तगत शेष के रूप में दर्शाया जा रहा है, जिससे कि गृहकर से एकत्रित राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा

सकता है। गृहकर के रूप में एकत्रित राशि को पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय व्यय हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है, जबकि निमयानुसार प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करने के उपरान्त ही प्रयोग में लाया जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि सचिव द्वारा रसीद संख्याः 1914/11 से 1914/36 तथा 1914/38 से 1914/64 के अन्तर्गत ₹3305 एकत्रित की गई तथा रसीद संख्याः 1914/65 से 1914/100 के अन्तर्गत ₹2000 एकत्रित की गई, जबकि रोकड़ वही में क्रमशः ₹3200 व ₹1800 का एकत्रिकरण ही दर्शाया गया है अर्थात ₹305 बैंक खाते में कम जमा करवाई गई है। अतः ₹305 को बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्त्रोत से पंचायत राजस्व के रूप में एकत्रित की जा रही राशि को प्रतिदिन सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त रसीद संख्याः 1914/37 को रसीद बुक से गायब पाया गया, जिसकी छानबीन करके उस रसीद के माध्यम से प्राप्त राशि को भी पंचायत निधि में जमा करवाया जाना तथा अनुपालना अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। गृहकर से एकत्रित राशि का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	रसीद सं0	दिनांक	राशि	क्र0 सं0	रसीद सं0	दिनांक	राशि
1	1914/1	8.12.14	50	51	1914/51	28.2.15	50
2	1914/2	12.12.14	55	52	1914/52	28.2.15	50
3	1914/3	19.12.14	100	53	1914/53	28.2.15	50
4	1914/4	19.12.14	100	54	1914/54	28.2.15	50
5	1914/5	19.12.14	50	55	1914/55	28.2.15	50
6	1914/6	19.12.14	50	56	1914/56	28.2.15	50
7	1914/7	19.12.14	50	57	1914/57	28.3.15	50
8	1914/8	5.1.15	50	58	1914/58	28.3.15	50
9	1914/9	8.1.15	50	59	1914/59	28.3.15	50
10	1914/10	8.1.15	50	60	1914/60	28.3.15	50
11	1914/11	8.1.15	50	61	1914/61	28.3.15	50
12	1914/12	8.1.15	50	62	1914/62	28.3.15	50
13	1914/13	8.1.15	50	63	1914/63	28.3.15	50
14	1914/14	8.1.15	50	64	1914/64	28.3.15	50
15	1914/15	9.1.15	50	65	1914/65	12.4.15	50
16	1914/16	9.1.15	50	66	1914/66	12.4.15	50
17	1914/17	9.1.15	50	67	1914/67	12.4.15	50
18	1914/18	28.1.15	50	68	1914/68	12.4.15	50
19	1914/19	28.1.15	50	69	1914/69	12.4.15	50
20	1914/20	28.1.15	50	70	1914/70	12.4.15	50
21	1914/21	28.1.15	50	71	1914/71	12.4.15	50
22	1914/22	28.1.15	50	72	1914/72	12.4.15	50
23	1914/23	28.1.15	50	73	1914/73	12.4.15	50
24	1914/24	28.1.15	50	74	1914/74	12.4.15	50
25	1914/25	28.1.15	50	75	1914/75	12.4.15	50
26	1914/26	28.1.15	50	76	1914/76	12.4.15	50

27	1914/27	28.1.15	50	77	1914/77	12.4.15	50
28	1914/28	28.1.15	50	78	1914/78	23.5.15	50
29	1914/29	28.1.15	50	79	1914/79	23.5.15	50
30	1914/30	28.1.15	50	80	1914/80	28.5.15	50
31	1914/31	8.2.15	50	81	1914/81	28.5.15	50
32	1914/32	8.2.15	50	82	1914/82	28.5.15	50
33	1914/33	8.2.15	50	83	1914/83	28.5.15	50
34	1914/34	8.2.15	50	84	1914/84	28.5.15	50
35	1914/35	8.2.15	50	85	1914/85	28.5.15	50
36	1914/36	8.2.15	50	86	1914/86	8.6.15	50
37	Missing	8.2.15	50	87	1914/87	28.6.15	50
38	1914/38	28.2.15	50	88	1914/88	28.6.15	50
39	1914/39	28.2.15	50	89	1914/89	28.6.15	50
40	1914/40	28.2.15	50	90	1914/90	22.8.15	100
41	1914/41	28.2.15	50	91	1914/91	28.8.15	100
42	1914/42	28.2.15	50	92	1914/92	28.8.15	50
43	1914/43	28.2.15	50	93	1914/93	11.10.15	50
44	1914/44	28.2.15	50	94	1914/94	11.10.15	75
45	1914/45	28.2.15	50	95	1914/95	15.10.15	50
46	1914/46	28.2.15	50	96	1914/96	15.10.15	75
47	1914/47	28.2.15	50	97	1914/97	15.10.15	75
48	1914/48	28.2.15	50	98	1914/98	17.10.15	75
49	1914/49	28.2.15	50	99	1914/99	18.10.15	50
50	1914/50	28.2.15	50	100	1914/100	18.10.15	50
						Total	**₹5305**

11 ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से आय वसूली में उदारता

ग्राम पंचायत के स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय की वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 की तुलना करने पर पाया गया कि पंचायत स्वयं स्त्रोत से आय प्राप्ति के प्रति बिलकुल भी गम्भीर नहीं है, जिस कारण पंचायत को प्राप्त होने वाली आय में वर्ष प्रति वर्ष कमी होती जा रही है। पंचायत को प्राप्त होने वाली आय की कुछ मदों की तुलनात्मक विवरणी निम्नानुसार है।

वर्ष	गृहकर वसूली	परिवार विभाजन वसूली	विवाह दान	शराब कर	विविध दान
2013–14	4600	700	400	550	17228
2014–15	3200	–	–	–	16284
2015–16	1800	–	–	–	–

अतः उपरोक्त मदों की आय में प्रति वर्ष कमी होने या प्राप्ति/वसूली न करने की संस्था स्तर पर जांच की जाए तथा शेष राशि की वसूली करके पंचायत खाते में जमा करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 मोबाइल टावर से प्राप्त आय के बारे में

निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी (DIT) के पत्र संख्या : DIT/Dev(IT) 2005 (MISC) दिनांक 22.8.2006 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर को स्थापित करने पर ₹4000 तथा तदोपरान्त प्रति वर्ष ₹2000 का नवीनिकरण शुल्क सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देय है। ग्राम पंचायत द्वारा टावर से प्राप्त होने वाली आय की जानकारी हेतु मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है तथा पंचायत को मात्र एक ही मोबाइल टावर से (Airtel Co.) टावर शुल्क प्राप्त हो रहा है, जिसकी मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्टि करनी सुनिश्चित की जाए तथा पंचायत के अधीन क्षेत्र में अन्य कम्पनियों के स्थापित मोबाइल से भी नियमानुसार टावर शुल्क की वसूली करके कृत कार्रवाई में आगामी अंकेक्षण के समय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 रसीद बुकों को स्टॉक/स्टोर रजिस्टर में दर्ज न करना

जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर के पत्र संख्या : PCN-SMR-Stationary-6005, दिनांक 27.7.2015 के सन्दर्भ में पंचायत निरीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय राजगढ़ द्वारा रसीद बुकों की 20 प्रतियां (Copies) व M/Roll फार्म की एक प्रति ग्राम पंचायत भूईरा को जारी की गई है, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा रसीद बुकों को प्राप्त करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है और न ही पंचायत वित्त नियम 2002 के नियम 13(5) द्वारा वान्छित रसीद के स्टॉक रजिस्टर का निर्माण किया गया है, जिसकी अनुपस्थिति में रसीद बुकों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्राप्त की गई रसीदों को क्रमवार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 अनुदानों पर प्राप्त ब्याज की ₹95601 को स्वयं के स्त्रोत की आय में स्थानान्तरण न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 के कोड़ संख्याः 1 से 50 में सन्दर्भित स्त्रोत से प्राप्त आय को पंचायत के स्वयं के स्त्रोत की आय माना गया है तथा खाता–A (Account-A) में शामिल किया गया है। इसी प्रकार नियम 3 के कोड़ संख्याः 51 से 99, जिसमें विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों व ऋणों को भी शामिल किया गया है तथा इसे खाता–B (Account-B) में रखा गया है तथा खाता–B प्राप्त होने वाले ब्याज अर्थात अनुदानों व ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को प्रति वर्ष जनवरी व जुलाई माह में खाता–A (स्वयं के स्त्रोत की आय) में स्थानान्तरित किया जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन राशियों को सम्बन्धित खातों में स्थानान्तरित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत को विभिन्न अनुदानों पर प्राप्त हुई ब्याज की ₹95601, जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, को स्वयं के साधनों से प्राप्त आय में स्थानान्तरित न करने का

औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹95601 को खाता–A में स्थानान्तरित करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	अनुदान स्त्रोत	वर्ष		
		2013–14	2014–15	2015–16
1	जलागम परियोजना	3881	2526	777
2	इन्दिरा आवास योजना	3841	5843	2107
3	राजीव/अटल आ0 योजना	1926	1714	1788
4	पी0एम0ए0जी0वाई0	–	12153	19875
5	बी0आर0जी0एफ0	12009	11331	9434
6	मनरेगा	5694	702	–
	योग	**27351**	**34269**	**33981**
	कुल योग ₹27351+₹34269+33981			**₹95601**

15 मनरेगा से हस्तान्तरित की गई राशि की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत न करना

मनरेगा अनुदान से सम्बन्धित पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्याः 14779 के अन्तिम शेष में मौजूद ₹284.90 को चैक संख्याः 809139, दिनांक 13.3.2015 तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सहाकारी बैंक समिति के खाता संख्याः 12575 में जमा शेष ₹215 को दिनांक 31.3.2015 को खण्ड विकास अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय को स्थानान्तरित करके मनरेगा खाते को बन्द कर दिया गया, परन्तु मनरेगा खाते से हस्तान्तरित की गई राशि की पुष्टि हेतु व खण्ड विकास अधिकारी के खाते में उक्त राशि के जमा होने से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे, जिसकी पुष्टि हेतु सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

16 रेत की आपूर्ति पर ₹1500 का अधिक भुगतान करना

ग्राम पंचायत द्वारा बेहरोल बस्ती हेतु लिंक रोड़ की मुरम्मत के लिए Rana Transport Co. Dimber, Rajgarh से उनके बिल संख्याः 81, दिनांक 30.6.2016 द्वारा 150 फुट रेत की खरीद ₹50 प्रति फुट की दर से अदायगी की गई थी, जिसकी देय ₹7500 थी, परन्तु पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता को ₹7500 के स्थान पर ₹9000 का भुगतान चैक संख्याः 667714, दिनांक 11.8.2015 द्वारा किया गया अर्थात ₹1500 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹1500 की वसूली करके इसे पंचायत खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 Muster Roll के अन्तर्गत भुगतान की गई ₹1530 की पावती प्रस्तुत न करना

रोकड़ वही के पृष्ठ 26, माह 8/2015 में श्री यशपाल सुपुत्र श्री नाराण सिंह को Muster Roll संख्याः 0084 के तहत ₹1530 का भुगतान बेहरोल बस्ती हेतु लिंक रोड़ के निर्माण कार्य हेतु किया गया है, परन्तु इस भुगतान की पावती प्राप्त नहीं की गई है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा किए गए भुगतान की पावती प्राप्त कर अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाए।

18 वित्त नियमों की अनुपालना न करके ₹6.10 लाख का क्रय करने बारे

पंचायत के लेखों की जांच/अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत के कर्मचारियों/पदाधिकारियों द्वारा **परिशिष्ट–5** में वर्णित किए गए क्रय के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) नियमानुसार निर्धारित सीमा से अधिक क्रय के लिए कम से कम तीन फर्मों से निविदाएं आमन्त्रित करना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे मामलों में निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई।

(ख) पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय की गई सामग्री को तुरन्त भण्डार रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

(ग) पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विर्निदिष्ट करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित नहीं करता है, परन्तु पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

(घ) पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व तारीख होना अनिवार्य है, जबकि भुगतान किए गए किसी भी वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व तारीख अंकित नहीं की गई है।

(ड.) पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 50(1) के अनुसार भुगतान करते समय भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से रसीद लेना अनिवार्य है, जोकि नहीं की गई। अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए क्रय जिनमें उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया का विवरण **परिशिष्ट–5** पर दिया गया है।

19 निविदाएं (Tenders) आमन्त्रित किए बिना ही ₹3.49 लाख का क्रय करना

(क) प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) के अन्तर्गत ₹225000 की सोलर लाईटस के क्रय के सम्बन्धित बिल की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुरूप क्रय नहीं किया गया है, जबकि उक्त नियमों के उप नियम 67(5)(a)

में ₹50000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं को कम से कम दो समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार हेतु पब्लिश करने के उपरान्त ही निविदाओं को आमन्त्रित (Tenders) करके क्रय किया जा सकता है तथा क्रय करने हेतु उप नियम 3(a) के अन्तर्गत समिति गठित की जानी वांछित है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की औपचारिकताएंओं को पूर्ण किए बिना ही ₹225000 की सोलर स्ट्रीट लाईटों का क्रय किया गया है तथा इस क्रय की भण्डारण प्रविष्टि भी नहीं की गई है। क्रय की गई लाईटों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

वस्तु का नाम	विक्रेता का नाम	बिल सं0	दिनांक	मात्रा	दर	कुल क्रय
सोलर लाईटस	मै0 आश्रय ट्रेडर्स प्लाट नं0 153 इण्डसट्रियल एरिया फेस–II चण्डीगढ़	694	25.3.14	9	25000	225000

(ख) उपरोक्त वर्णित क्रय के अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य निधि से खण्ड विकास अधिकारी राजगढ़ से प्राप्त अनुदान से सार गांव के लिए पाइप लाइन बिछाने के लिए मैसर्ज षिव हार्डवेयर स्टोर राजगढ़ से बिल संख्याः 800, दिनांक 30.3.2015 द्वारा ₹124638 में 1482 किलोग्राम पीवीसी पाइप का क्रय बिना निविदाएं (Tenders) प्राप्त किए ही किया गया है, जिसकी न तो भण्डारण प्रविष्टि की गई है और न ही इस क्रय हेतु तैयार किए गए अुनमान तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति इत्यादि को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त क्रय हेतु नियमानुसार क्रय समिति का गठन न करने, निविदाएं आमन्त्रित न करने, भण्डारण प्रविष्टि न करने, बजट अनुमान रजिस्टर तैयार न करने व क्रय के बिलों पर ग्राम सभा की बैठक में व्यय के अनुमोदन हेतु पारित प्रस्ताव की प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करने के अतिरिक्त उक्त समस्त वर्णित क्रय नियमों के अनुसार ही किया जाना व क्रय की गई सामग्री के सम्बन्धित पंजिकाओं में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 अस्थाई अग्रिमों की ₹0.65 लाख का समायोजन न करना

ग्राम पंचायत भूईरा के व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि दिनांक 22.1.2016 तक पंचायत के प्रधान रहे श्री राम गोपाल को निम्न विवरणानुसार पंचायत के सामान्य निधि से दी गई अग्रिम ₹65000 समायोजन हेतु शेष है।

अग्रिमों का विवरण

क्र0 सं0	नाम व पद	अग्रिम राशि	दिनांक	प्रयोजन जिस हेतु अग्रिम दिया गया	चैक संख्या व दिनांक
1	श्री राम गोपाल	20000	11.9.15	पाइप लाइन मढयोगा	667720, 11.9.15
2	श्री राम गोपाल	15000	28.11.15	पाइप लाइन खेडाधार	667732, 28.11.15

3	श्री राम गोपाल	30000	8.12.15	पेयजल टंकी GMS धनोगा	667733, 8.12.15
	कुल अग्रिम	**65000**			

उपरोक्त वर्णित अस्थाई अग्रिमों को पंचायत द्वारा न तो अस्थाई अग्रिम रजिस्टर का निर्माण कर अग्रिम रजिस्टर में दर्ज किया गया है और न ही अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रदान किए गए अग्रिमों को अग्रिम रजिस्टर में दर्ज करके इसकी शीघ्र अति शीघ्र दण्ड ब्याज सहित वसूली कर समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान करना

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, परन्तु मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज पंचायत कार्यालय में उपस्थित नहीं था। अतः मानदेय भुगतान की सही राशि की पुष्टि हेतु हि0प्र0 सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि मानदेय भुगतान की जांच की जा सके।

22 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा सम्बन्धित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 प्रत्यक्ष सत्यापन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** अलग से जारी नहीं की गई।

25 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता एवं नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख एवं सभी निधियों की रोकड़ वही को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(10)1/2016, खण्ड–1–5208–5212 दिनांक :01.10.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत भूईरा, विकास खण्ड राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09
3. जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर स्थित नाहन, जिला सिरमौर हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0
5. वरिष्ठ महालेखाकार(स्थानीय निकाय), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला–171003

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.